अध्याय – 3

राज्य उत्पाद शुल्क

अध्याय 3: राज्य उत्पाद शुल्क

3.1.1 कर प्रबंध

सरकारी स्तर पर अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग प्रशासनिक मुखिया हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। उनकी सहायता मुख्यालय पर क्लैक्टर (आबकारी) द्वारा तथा फील्ड में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के समुचित प्रबन्ध के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सीज (आबकारी)}, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज), निरीक्षक एवं अन्य सहायक स्टॉफ द्वारा की जाती है।

उत्पाद शुल्क राजस्व मुख्यत: विभिन्न बिक्रियों के लाईसैंस की प्रदानगी हेतु लाईसैंस फीस, डिस्टलरियों एवं ब्रेवरिज से निकाली गई और एक राज्य से दूसरे राज्य को आयातित/निर्यातित स्पिरिट/बीयर पर उद्गृहीत उत्पाद शुल्कों से प्राप्त किया जाता है।

3.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014-15 में उत्पाद-शुल्क, लाईसैंस फीस प्राप्तियों इत्यादि से संबंधित 36 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 660 मामलों में ₹ 70.39 करोड़ से आवेष्टित उत्पाद-शुल्क/लाईसैंस फीस/ब्याज/पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएं दर्शाई, **तालिका 3.1** में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

तालिका 3.1

			(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**श्रेणियां**	**मामलों की संख्या**	**राशि**
1	लाईसैंस फीस जमा न करवाना/कम जमा करवाना तथा ब्याज की हानि	494	63.15
2	बिक्रियों के पुन: आबंटन पर लाईसैंस फीस की अंतरीय राशि की वसूली न करना	4	2.23
3	• अवैध शराब पर पेनल्टी की अवसूली • पेनल्टी न लगाना	68 30	0.75 0.18
4	विविध अनियमितताएं	64	4.08
	योग	**660**	**70.39**

वर्ष के दौरान विभाग ने 251 मामलों में ₹ 27.12 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें 230 मामलों में आवेष्टित ₹ 27.03 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 87 मामलों में ₹ 5.33 करोड़ वसूल किए, जिनमें 66 मामलों में आवेष्टित ₹ 5.25 करोड़ वर्ष 2014-15 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 20.44 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

लेखापरीक्षा उपलब्धियां

3.2 लाईसैंस फीस तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली

41 लाईसैंसधारी, निर्धारित तारीखों तक वर्ष 2013-14 हेतु देय लाईसैंस फीस की मासिक किस्तों का भुगतान करने में विफल रहे तथा डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने दुकानों को सील करने के लिए कार्रवाई आरंभ नहीं की परिणामत: ₹ 15.39 करोड़ की लाईसैंस फीस तथा ₹ 4.58 करोड़ के ब्याज की अवसूली/कम वसूली/अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए राज्य आबकारी नीति के साथ पठित हरियाणा मद्य लाईसैंस नियम, 1970 (एच.एल.एल. नियम) के अंतर्गत देशी शराब (दे.श.) तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब (भा.नि.वि.श.) बेचने के लिए खुदरा दुकानों के लाईसैंस रखने वाले लाईसैंसधारी/आबंटी द्वारा प्रत्येक माह की 20 तारीख तक लाईसैंस फीस की मासिक किस्त के भुगतान के लिए प्रावधान करते हैं। वर्ष 2013-14 हेतु दुकानों/दुकानों के समूह की लाईसैंस फीस की पूर्ण राशि अप्रैल 2013 से आरंभ होकर मार्च 2014 तक बारह सामान मासिक किश्तों में जमा करवाई जाएगी जिसमें विफल रहने पर लाईसैंसधारी माह के प्रथम दिन से किस्त अथवा उसके किसी भाग के भुगतान की तारीख तक की अवधि हेतु डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी है। यदि लाईसैंसधारी माह के अंत तक ब्याज सहित सम्पूर्ण मासिक किस्त जमा करवाने में विफल रहता है तो लाईसैंसप्राप्त दुकान का प्रचालन अनुवर्ती माह की पहली तारीख से बंद कर दिया जाएगा तथा संबंधित जिला के डी.ई.टी.सी. (आबकारी) द्वारा साधारणतया सील कर दिया जाएगा।

3.2.1 लेखापरीक्षा द्वारा (मई तथा सितंबर 2014) डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के पांच कार्यालयों[1] में वर्ष 2013-14 के लिए लाईसैंस फीस के भुगतान के एम-2 रजिस्टरों[2] से देखा गया कि 41 लाईसैंसधारी वर्ष 2013-14 हेतु लाईसैंस फीस की मासिक किस्तों का भुगतान निर्धारित तारीखों तक करने में विफल रहे। 31 मार्च 2015 को विलम्ब 396 से 730 दिनों के मध्य श्रृंखलित था। लाईसैंसधारकों ने देय ₹ 111.28 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹ 95.89 करोड़ का भुगतान किया था। तथापि, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने एच.एल.एल. नियमों के अनुसार कोई ठोस कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी परिणामस्वरूप ₹ 2.59 करोड़ के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 15.39 करोड़ की लाईसैंस फीस की अवसूली/कम वसूली हुई।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) सोनीपत तथा कैथल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि 16 मामलों में अगस्त 2014 तथा मार्च 2015 के मध्य ₹ 8.52 करोड़ (लाइसैंस फीस: ₹ 7.57 करोड़; ब्याज: ₹ 94.90 लाख) में से ₹ 4.82 करोड़ (लाइसैंस फीस: ₹ 4.48 करोड़; ब्याज: ₹ 33.95 लाख) की राशि वसूल/समायोजित की गई थी तथा ₹ 3.70 करोड़ की शेष राशि वसूल करने हेतु प्रयास किए जाएंगे। डी.ई.टी.सी. (आबकारी), भिवानी, नारनौल तथा पलवल ने बताया (जनवरी तथा अप्रैल 2015) कि ₹ 1.64 करोड़ के ब्याज के अतिरिक्त

---

1 भिवानी, कैथल, नारनौल, पलवल तथा सोनीपत।

2 एम-2 रजिस्टर को नीलामी द्वारा निर्धारित फीस पर अनुमत लाईसैंसों के रजिस्टर के रूप में परिभाषित किया जाता है।

₹ 7.82 करोड़ की बकाया लाइसैंस फीस वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे/चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे। वसूली पर आगे प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित है (नवंबर 2015)।

3.2.2 डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के सात कार्यालयों[3] में वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए लाईसैंस फीस के भुगतान हेतु एम.-2 रजिस्टर भी यह दर्शाते थे कि 101 लाईसैंसधारकों ने अप्रैल 2012 तथा मार्च 2014 की मध्य अवधि हेतु ₹ 91.59 करोड़ की राशि की लाईसैंस फीस की मासिक किस्तों का भुगतान निर्धारित देय तारीखों के पश्चात् किया था। विलंब 21 और 151 दिनों के मध्य श्रृंखलित था। डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने तथापि, दुकानों को सील/सीज करने के लिए तथा लाईसैंसफीस के विलंबित भुगतानों के लिए ब्याज उद्ग्रहण हेतु कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.99 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

सभी डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (मार्च एवं अप्रैल 2015) कि ₹ 25.07 लाख के ब्याज की राशि प्रतिभूति से वसूल/समायोजित कर ली गई है तथा ₹ 1.74 करोड़ की बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। वसूली पर आगे प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित है (नवंबर 2015)।

ऐसे मामले वर्ष 2010-11 से 2013-14 के पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में भी इंगित किए गए थे तथा ऐसी गलतियां अभी भी दोहराई जा रही हैं किंतु आज तक कोई वसूली नहीं की गई।

मामला मई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

3.3 अवैध शराब के स्वामित्व एवं व्यापार के लिए पेनल्टी का अनुद्ग्रहण/अवसूली

हरियाणा आरोपण तथा वसूली नियमों के नियम 12 तथा 13 का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप 42 मामलों में ₹ 4.69 लाख की पेनल्टी का अनुद्ग्रहण हुआ। आगे, यद्यपि विभाग द्वारा 108 मामलों मे ₹ 42.32 लाख की पेनल्टी लगाई गई थी, अभी तक वसूली नहीं गई थी।

हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61(1) के अंतर्गत 750 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतल पर न्यूनतम ₹ 50 तथा अधिकतम ₹ 500 की पेनल्टी अवैध शराब[4] के स्वामित्व हेतु दोषी पर उद्ग्राह्य है। आगे, हरियाणा पेनल्टी आरोपण तथा वसूली नियम, 2003 के नियम 12 तथा 13 प्रावधान करते हैं कि यदि पेनल्टी का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो कलेक्टर अथवा डी.ई.टी.सी. (आबकारी) शराब के साथ परिवहन के साधन की जब्ती हेतु आदेश पारित करेगा और जब्ती के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर परिवहन के साधन की नीलामी की जाएगी।

---

[3] फरीदाबाद, जींद, करनाल, नारनौल, पंचकुला, रेवाड़ी तथा सोनीपत।

[4] अवैध शराब का तात्पर्य किसी गुणवत्ता जांच के बिना गुप्त रूप से/अवैध रूप से तैयार की गई तथा स्वीकार्य से उच्चतर मादक केन्द्रीकरण के कारण मानव खपत हेतु अनुपयुक्त शराब से है।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के पांच कार्यालयों[5] में लेखापरीक्षा ने देखा (दिसंबर 2013 से सितंबर 2014) कि वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 के लिए विभाग ने 108 मामलों में भारत में निर्मित विदेशी शराब/देशी शराब/बीयर की 71,250 अवैध बोतलें रोक ली थी तथा 17 वाहन जब्त किए थे। विभाग ने उपयुक्त अवसर देने के पश्चात् 66 मामलों का निर्णय किया तथा 2012–13 एवं 2013–14 के दौरान ₹ 42.32 लाख की पेनल्टी लगाई। तथापि, 42 मामलों में ₹ 4.69 लाख की पेनल्टी उद्गृहीत नहीं की गई थी। दोषियों ने पेनल्टी का भुगतान नहीं किया परिणामस्वरूप ₹ 47.01 लाख (₹ 42.32 लाख + ₹ 4.69 लाख) की पेनल्टी की वसूली नहीं हुई।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) करनाल, जगाधरी तथा सोनीपत ने बताया (अप्रैल 2015) कि 10 मामलों में ₹ 30.76 लाख में से ₹ 26,000 की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 30.50 लाख की बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। डी.ई.टी.सीज (आबकारी) जींद तथा कैथल ने बताया (अप्रैल 2015) कि ₹ 16.25 लाख की बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। वसूली पर आगे प्रगति प्रतीक्षित है (नवंबर 2015)।

मामला अप्रैल 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

---

5 जगाधरी, जींद, करनाल, कैथल तथा सोनीपत।